


### उत्तर प्रदेश



Scholarship and Fee Reimbursement Online System

### **ORIGINAL COPY**



### **ENGLISH TRANSLATION**

SUBJECT- Regarding preparation of master database of courses related to post-matric scholarship and fee reimbursement for class 11-12 and other post-matric classes in the financial year/academic session-2020-21, locking verification and issuing proposed time-table for distribution of scholarship/fee reimbursement application to the students.

> चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्थ महिला पी० जी० कालेज,गोरखपुर





### Scholarship and Fee Reimbursement Online System

	DISTANT MANAGE				
- 1	पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार, पाठ्यकवार कुल से की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमर	ोटों			
1	पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंको	वार			
-	ार्यात हुया. पाठ्यक्रमवार एकिल्लिकि				
1	विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित				
	अद्यतन करना।				
17	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt)				
	शासकीय सहामन् (Cost Ail क्षांसकाय (Govt)	व   01 जुल	नाई 2020	से 31	अगस्त 20
1	शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्था योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशाल	यें तिक			
· [	समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप	य,			
1	करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोर	त			
1	(निदेशक, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नराय	ਟ			
1.	रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजक	न	8.1		
1 1	पासवर्ड प्राप्त करना।	₹			
1 1	(नोंट:-राज्य से बाहर की नवीन संस्थायें पासवर्ड व				
1 1	लिये 31 अगस्त 2020 तक ही आनलाइन आवेदन कर	5			
	सकती हैं।)	₹			
1बी	योजनाधिकारी (वाहरा प्रदेश फारावाचि) ने	-			
	प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण	01 जुलाः	₹ 2020 ₹	से 18 रि	नतम्बर 2020
- 1	सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से	(नाट:-रा	ज्य से	बाहर	की पूर्व र
- 1	प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से	पासवड	प्राप्त पु	रानी स	स्थाओं द्वार
1	पांसवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यकम,	सूचनाआ	की आ	नलाइन	अंकित क
1000	पाठ्यक्म का प्रकार पाठ्यक्रमताच कन की के	सकता ह	"1)		
1000	पाठ्यक्म का प्रकार पाठ्यक्रमताच कन की के	सकता ह	0		•••
1 -	पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुक्क गाउँगुरूपार	सकता ह	<i>"D</i>		
1	पाठ्यकम का प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार पूर्णांक (संभेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के संकों को	सकता ह	<i>"U</i> .		
l s	पाउंचकम की प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार पूर्णांक (सेंमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाठयकमवार एफिलियेटिंग एनेकी र	सकता ह	<i>"D</i>		
f f	पाठ्यकम की प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार पूर्णांक (सेंमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ वेश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	सकता ह	<i>D</i> .		
f f	पाठ्यकम की प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार पूर्णांक (सेंमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ वेश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। देश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य	सकता ह	<i>D</i> .		
2 P	पार्व्यक्रम की प्रकार, पार्व्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पार्व्यक्रमवार गूर्णांक (सेंमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पार्व्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ वेश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित हरना। देश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य	सकता ह	<i>D</i> .		
2 P	पाउंचिक की प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार पूर्णांक (सेंमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/वेशविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। देश के अन्वर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य फिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला के साथ सिक्षा के सिक्षा के साथ सिक्षा के साथ सिक्षा के सिक्सा के सिक्षा के सिक्सा के सिक्षा के सिक्षा के सिक्षा के सिक्षा के सिक्षा के सिक्सा के सिक्षा के सिक्सा के सिक्स	सकता ह	<i>D</i> .		
2	पाठ्यकम की प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार पूर्णांक (सेंमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/वेशविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। पदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य फिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला केंद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11—12 हेतु) होरा शिक्षण रिष्टा, पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार प्रसं की साम	सकता ह	<i>D</i> .		
2	पार्व्यक्रम की प्रकार, पार्व्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पार्व्यक्रमवार यूणाँक (सेंमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पार्व्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/वेश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। दिशा के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य फिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला किलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विश्वविद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11—12 हेतु) द्वारा शिक्षण स्थित, पार्व्यक्म, पार्व्यक्म का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को	सकता ह	<i>D</i> .		
2	पाउंचिक की प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार पूर्णांक (सेंमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/वेश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। पेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य फिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला फिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला खेडालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण खंधा, पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को निलाईन सत्यापित करना।	01 सितम् 2020 तक	<i>D</i> .		
2	पाउंचिक की प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार पूर्णांक (सेंमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/वेशविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। विश्व के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य फिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला वेद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11—12 हेतु) द्वारा शिक्षण रिया, पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार एवं फीस आदि के अंकित करना। तथा उसकी प्रमाणिकता को निलाईन सत्यापित करना।	सकता है 01 सितम् 2020 तक	रा) अवस् 2020	) से 1	5 अक्टूबर
2 प्र हिं स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व	पाउंचिक की प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार पूर्णांक (सेंमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/वेश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। देश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य फिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला देखालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण रिप्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण रिप्यालय निरीक्षक (कक्षा 13–12 हेतु) द्वारा शिक्षण रिप्यालय निरीक्षक (कक्षा 13–13 हेतु) द्वारा शिक्षण रिप्यालय निरीक्षक (कक्षा 13–13 हेतु) जीकत करना तथा उसकी प्रमाणिकता को निलाईन सत्यापित करना।	01 सितम्ब 2020 तक 21 सितम्ब	रा) अवस् 2020	) से 1	5 अक्टूबर
्ट प्र रि वि स्य अं	पाउंचिक की प्रकार, पाट्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाट्यकमवार पूर्णांक (सेंमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाट्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/वेश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। देश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य फिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण स्थालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण स्थालय निरीक्षक (कक्षा 13–12 हेतु) द्वारा शिक्षण स्थालय निरीक्षक (कक्षा 13–12 हेतु) द्वारा शिक्षण स्थालय निरीक्षक (कक्षा 13–13 प्रकार एवं फीस आदि हो अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को निलाईन सल्यापित करना। जनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में थत शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों 1) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्यानों	सकता है 01 सितम् 2020 तक	रा) अवस् 2020	) से 1	5 अक्टूबर
2 प्र रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि	पाउंचिक की प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार पूर्णांक (सेंमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/वेशविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। देश के अन्वर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य फिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला वेद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11—12 हेतु) द्वारा शिक्षण विद्यालय स्वर्था प्रविद्यालय प्रविद्यालय को जिला विद्यालय करना। जिनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में धत शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों वे द्वारा समी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या में फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर	01 सितम्ब 2020 तक 21 सितम्ब	रा) अवस् 2020	) से 1	5 अक्टूबर
2 प्र ति ति प्र प्र प्रि स् अं स् हेट्	पाउंचकम की प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार पूर्णांक (सेंमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/वेश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। देश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य फिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला देशालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण रिखालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण रिखा, पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को निलाईन सत्यापित करना। जिनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में धत शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हो द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या हो जीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर नलाइन लाक किया जाना।	01 सितम्ब 2020 तक 21 सितम्ब	रा) अवस् 2020	) से 1	5 अक्टूबर
2 प्र प्र प्र क अंश हिंद् प्र हिंद प्र प्र हिंद प्र हिंद प्र	पाउंचिक की प्रकार, पाट्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाट्यकमवार पूर्णांक (सेंमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाट्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/वेश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। वेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य फिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला खालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण खालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण खालय निरीक्षक (कक्षा 13 अन्वर एवं फीस आदि हो आंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को निलाईन सत्यापित करना। जनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में थत शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रचार समी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या के प्रीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर नलाइन लाक किया जाना।	01 सितम् 2020 तक 21 सितम्ब 2020 तक	बर 2020 वर 2020	) से 1 से 30	5 अक्टूबर
2 प्र ति ति वि क्षेत्र केंद्र हिट्ट प्र क्षेत्र केंद्र प्र क्षेत्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद् केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद् केंद् केंद् केंद केंद केंद केंद केंद केंद केंद केंद	पाउंचकम की प्रकार, पाट्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार पूर्णांक (सेंमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाट्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/वेश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।  त्रेश के अन्तर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य फिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला वेद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण वेद्यालय निरीक्षक पत्रका उपक्री प्रमाणिकता को जिलाईन सत्यापित करना।  जानाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में ध्वारा सासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संख्यामें प्रवार सासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संख्यामें प्रवार का कि वाह्य प्रदेशों के प्रकार, सीटों की संख्या के प्रकार का कि का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर नलाइन लाक किया जाना।  ला समाज कल्याण अधिकारी हारा जिला पिछड़ा कि का वाह्यण विवरण का विष्ठ हा कि का वाह्यण अधिकारी एवं जिला अव्यव्यवक का व्यव्यवक्ष का विवरण प्राप्त का वाह्यण का विवरण वाह्यण विवर्ण के का वाह्यण का विवरण वाह्यण विवर्ण वाह्यण व	01 सितम् 2020 तक 21 सितम्ब 2020 तक	बर 2020 वर 2020	) से 1 से 30	5 अक्टूबर
्ट प्र रि रि स्व अं रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि	पाउंचकम की प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार पूर्णांक (संमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/वेश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। वेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य फिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला खालय निरीक्षक (कक्षा 11—12 हेतु) द्वारा शिक्षण खालय निरीक्षक (कक्षा 13—12 हेतु) द्वारा शिक्षण खालय निरीक्षक (कक्षा 13—12 हेतु) द्वारा शिक्षण खालय निरीक्षक (कक्षा 13—13 हेतु) द्वारा स्वित्य प्रवेश का प्रकार प्रवेशों में खात शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संख्यानों जे प्रकार, सीटों की संख्या के किया जाना। ला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा किल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण धिकारी से प्रकार सीटों के प्रकार सीटों के सक्षार सीटों की स्वरार्थ सीटों के सक्षार सीटों के स्वरार्थ सीटों के स्वरार्थ सीटों के स्वरार्थ सीटों के स्वरार्थ सीटों के सक्षार सीटों के स्वरार्थ सीटों के स्वरार्थ सीटों के सक्षार सीटों के सक्षार सीटों के सक्षार सीटों के स्वरार्थ सीटों के सक्षार्थ सीटों के सक्षार्थ सीटों के सक्षार्थ सीटों के सक्षार्थ सीटों	01 सितम् 2020 तक 21 सितम्ब 2020 तक	बर 2020 वर 2020	) से 1 से 30	5 अक्टूबर
2 प्र ति चेत्र प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रद प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रद प् प प्रदेश प्र प्र प्र प्र प्र प् प्र प् प्र प् प्र प् प् प प प प	पाउंचिक की प्रकार, पाट्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाट्यकमवार पूर्णांक (संमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाट्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/वेश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। देश के अन्वर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य फिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11—12 हेतु) द्वारा शिक्षण स्था, पाट्यकम, पाट्यकम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को निलाईन सत्यापित करना। जनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में थत सासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों प्रजा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या प्रीप्त का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर नलाइन लाक किया जाना। ला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण धिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की स्वया पर्वाचला समाज कल्याण अधिकारी हारा जिला पिछड़ा कियाणा अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण धिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों संख्या छों के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों संख्या का किया जाना।	01 सितम् 2020 तक 21 सितम्ब 2020 तक	बर 2020 वर 2020	) से 1 से 30	5 अक्टूबर ) अक्टूबर
2 प्र रि हिंद हिंद हिंद हिंद हिंद हिंद हिंद हिं	पाउंचिक की प्रकार, पाट्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाव्यकमवार पूर्णांक (सेंभेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाट्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/वेश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।  त्रेश के अन्तर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य किलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला वेद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11—12 हेतु) द्वारा शिक्षण ख्रिया, पाट्यकम, पाट्यकम का प्रकार एवं फीस आदि के अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को निलाईन सत्यापित करना।  जनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में ध्रत शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों को प्रकार पर में संख्या के अहार पर मार्च की संख्या के प्रकार पर मार्च की संख्या के प्रकार पर मार्च की संख्या के प्रकार पर नलाइन लाक किया जाना।  ला समाज कल्याण अधिकारी हारा जिला पिछड़ा कि क्याण अधिकारी से संख्यानों के प्रकार, सीटों संख्या के के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों संख्या अधिकारी एवं जिला अन्यस्त्रव्यक कल्याण धेकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया ना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति सीमेति से	01 सितम् 2020 तक 21 सितम्ब 2020 तक	बर 2020 वर 2020	) से 1 से 30	5 अक्टूबर ) अक्टूबर
2 प्र रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि रि	पाउंचिक की प्रकार, पाट्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाट्यकमवार मूर्णांक (संमेरटर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाट्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/वेश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। देश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य फिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला खालय निरीक्षक (कक्षा 11—12 हेतु) द्वारा शिक्षण खालय प्रकार पाट्यकम पाट्यकम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को निलाईन सत्यापित करना। जनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में खात शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संख्यानों के प्रकार, सीटों की संख्या के प्रकार पर निलाइन लाक किया जाना। ला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण छोकारी के सहयोग से सभी संख्यानों के प्रकार, सीटों संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया ना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीवृत्ति समिति से क्षेत्रकम, पाट्यकम के प्रकार अस्तर कर्य के प्रकार अस्वर कर्य कर्य कर्य के प्रकार अस्वर के	01 सितम् 2020 तक 21 सितम्ब 2020 तक	बर 2020 वर 2020	) से 1 से 30	5 अक्टूबर
2 प्र रिं रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे	पाउंचिक की प्रकार, पाट्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाट्यकमवार पूर्णांक (संमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मेलाते हुये), पाट्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/वेश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। देश के अन्वर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य फिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11—12 हेतु) द्वारा शिक्षण स्था, पाट्यकम, पाट्यकम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को निलाईन सत्यापित करना। जनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में थत सासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों प्रजा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या प्रीप्त का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर नलाइन लाक किया जाना। ला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण धिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की स्वया पर्वाचला समाज कल्याण अधिकारी हारा जिला पिछड़ा कियाणा अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण धिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों संख्या छों के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों संख्या का किया जाना।	01 सितम् 2020 तक 21 सितम्ब 2020 तक	बर 2020 वर 2020	) से 1 से 30	5 अक्टूबर

## **ENGLISH TRANSLATION**

The nodal officer of the concerned university and other affiliating agency and the district school inspector (for class 11-12) within the state should mention the educational institution, curriculum, type of course and fees etc.

01 September 2020 to 15 October 2020.

चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जी० कालेज,मोरखपुर



# छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश



### Scholarship and Fee Reimbursement Online System

दश	दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति —समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यकम एवं कक्षा 11—12 के छात्रों हेतु			
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना। (आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु ०१ अगस्त से ०५ नवम्बर २०२० तक अनवरत जारी रहेगा।)			
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईरकूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक ) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्षित किया जाना।	करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट		
6	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 01 सितम्बर 2020 तक		
7	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना। (नोट:—02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं को ही 02 अक्टूबर 2020 को भुगतान हेतु डाटा शामिल किया जायेगा।)	02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक		
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	08 सितम्बर से 20 नवम्बर 2020 तक		
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	15 सितम्बर 2020 तक		
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जानाएवं एन०आई०सी० की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct)छात्रों के लिये)	08 सितम्बर से 15 सितम्बर 2020 तक		
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवंजनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के शुद्ध (Correct)छात्र/छात्राओं के लिये)	16 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर 2020 तक		
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिज़िटल	30 सितम्बर 2020 तक		

चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पीठ जीठ कालैज,गोरखपुर



# छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश



### Scholarship and Fee Reimbursement Online System

			200 9
- 1		सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधारपर नवीनीक	रण
		(Renewal) के सही (Correct) छात्र (स्वाय)	
- 1		एन0आई०सी० की राज्य इकाई से मॉग सृजित करान	का
-	13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजि	
	. •	रिपनेत्व से व्यक्त के व्यक्ति	टल 01 अक्टूबर 2020 तक
- 1		सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीक	ਰਾਗ
		(Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषार	गर
- 1		क इ-पेमेण्ट (e-payment) के बच्च DEN	rc
- 1		प्रणाला के माध्यम से छात्र / छात्राओं के बहुत है	i <del>a</del>
		थिति। में सिधं धनराशि अन्तरित किया जाना।	
	14	प्रत्येक जनपद में छात्रवित विवरण दिवस कर्म	OH 02 318441 0200 =>
		आयोजित करना	०२ अपटूबर २०२० का
		कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अव	
1		(Renewal) के छात्र/	राष नवान (Fresh) एव नवीनीकरण
	15	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	
1	16	छित्र / छात्रा द्वारा किये गये आनुलाइन आहेटन से न	£ 1177 - 1777 2020 (14)
1	- 1	त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय	ई छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण
1	- 1	जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक	
	- 1	को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वार	) निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
1	- 1	छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित	
1	- 1	किया जाना।	<b>1</b>
1	7	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं	
1	'	द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जम	
	-1	किया जाना।	12 19.91 2020
18			तक
10	, 1	छात्र/ छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी	.02 अगस्त से 19 नवम्बर 2020 तक
	1.	एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त	
	1.	विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना	
	1.	एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस	1
	1	एवं अग्रसारित करना।	
19	1	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं	30 नवम्बर 2020 तक
	1	सम्बन्धित विश्वविद्यालय एव एफिलियेटिंगएजेन्सी द्वारा	
	1	संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की	
	7	माणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	
20	F	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस	20 नवम्बर 2020 से 10 दिसम्बर
	l y	ाप्त किया जाना एवं एन०आई०सी० की गुज्य हकाई	2020 तक
	F	निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	
21	1 0	निपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति दारा श्रद्ध जाता	11 दिसम्बर 2020 से 20 जनवरी
	व	है सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, खीकत करना एवं	2021 तक
	U	निपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	
	R	भग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	
22	स	न्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं	11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर
	क	ल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया	2020 तक
	তা	ाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को	2020 (14)
	छ	त्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबिमट	
9	fa	व्या जाना।	
23		निलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके	2007 112 222 2 2 2
	103	त्र-छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित	आपदन पत्र भरन क 03 दिन के
	श्रि	क्षिण संस्था में जमा किया जाना।	अन्दर विलम्बतम 24 दिसम्बर 2020
	1 < 1	जा । राजा । राजा विश्वा सामा।	तक

चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्थ महिला पी० जी० कालैज,गोरखपुर



### उत्तर प्रदेश



### Scholarship and Fee Reimbursement Online System

_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(4)
24	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र–छात्रा	
	के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान	
1	क समस्ता विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान	
	किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना,	*
	सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	
25	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को	29 दिसम्बर 2020 से 06जनवरी 2021
	एन०आई०सी० की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित	तक
	बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	
26	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद	07 जनवरी २०२१ से २० जनवरी २०२१
	एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा	तक
	के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/	(14)
	छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत	
	करंना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी/के	
	डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	
27	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	00 7777 0004
21	विपर्वेच्या से न्यून नाम ने व्यक्ति के डिजिटल	23 जनवरा 2021 तक
	सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन०आई०सी०	
	की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	
28	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	25 जनवरी 2021 तक
	सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के	
	ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से	
	छात्र / छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि	
	अन्तरित किया जाना।	
29	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यकम	26 जनवरी 2020 को
	आयोजित करना।	
	<del></del>	

### नोट:-

- 1— उक्त समय—सारिणी के समयाविध के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/ प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें।
- 2— छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared ऑप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जारेगा।
- 3— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन वापस कर सकेगी तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुनः 07 दिन के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा दिनांक 02 अगस्त 2020 से 02 नवम्बर 2020 तक ही उपलब्ध रहेगी।
- 4— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए)का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।

प्राचार्या चन्द्रकान्ति रमावती देवी अपर्य महिला पीठ जीठ कालैज,गोरखपुर



### उत्तर प्रदेश



### Scholarship and Fee Reimbursement Online System

विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल अपलोड करेगें।

उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरण दिवस हेत् निर्धारित तिथि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु समारोह आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन् द्वारा कोविड—19 की स्थिति को देखते हुये विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय—सारिणी का अपने स्तर से प्रचार—प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमाविलयों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020—21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

> मार तिवारी) सचिव

पृ0सं0— %4 / 2020 / 1332(1) / 26-3-2020 तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण / वित्त / नियोजन / मा०शिक्षा / उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा / व्यवसायिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।

4— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

5— निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।

निदेशक, पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ। 6-

मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

है निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

असरत जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोजे सिंह) प्रमुख सचिव।

> चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्थ महिला पी० जी० कालेज,गोरखपुर